छठवॉ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड

37A, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड

देहरादून – 248013

वेबसाईट https://fcd.uk.gov.i.in ई–मेल sfcuttarakhand@gmail.com

संख्याः / विविध–7(2)/छ.रा.वि.आ./ 2025, दिनांकः 19 फरवरी, 2025

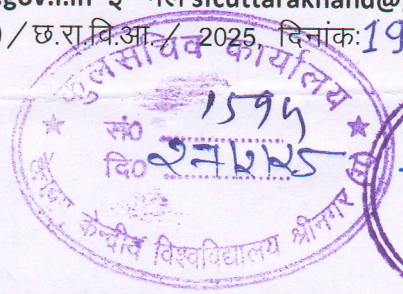

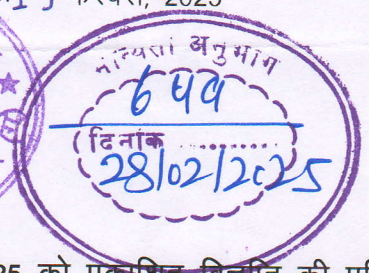

कुलसचिव कार्यालय सं0 1594 दि0 27/2/25 हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर

अनुभाग 644 दिनांक 28/02/2025

सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– **छठवॉ राज्य वित्त आयोग द्वारा दिनांकः 05 फरवरी, 2025 को प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति समस्त शासकीय विश्वविद्यालय/ अशासकीय/ निजी विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 झ, (उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा–158 (क) के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं एवं अनुच्छेद–243 (म) में वर्णित प्राविधानों का अनुसरण करते हुये श्री राज्यपाल महोदय द्वारा पंचायतों तथा नगर स्थानीय निकायों के संबंध में सन्दर्भित विषयों पर संस्तुति करने हेतु श्री एन. रविशंकर (से.नि. मुख्य सचिव/ आई.ए.एस.) की अध्यक्षता में छठवॉ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड का गठन किया गया है। आयोग में श्री पी.एस. जंगपॉगी (से.नि. सचिव/ आई.ए.एस.) एवं डा0 एम.सी. जोशी (से.नि. सचिव/ आई.ए.एस.) को सदस्य नियुक्त किया गया है। डा0 अहमद इकबाल (आई.ए.एस.), अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।

2– आयोग को सन्दर्भित विषयों **(TOR)** के अन्तर्गत आयोग त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा तथा सन्दर्भित अन्य विषयों पर अपनी संस्तुतियों का प्रतिवेदन श्री राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा।

3– त्रिस्तरीय पंचायतों **(जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत)** एवं शहरी स्थानीय निकायों **(नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत)** के वित्तीय प्रबन्धन, आय के स्रोत, संगठनात्मक ढॉचा, पूंजीगत परिसम्पत्तियों का रख–रखाव आदि का आंकलन, पंचायतीराज संस्थाओं/ शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के क्रियान्वयन सहित अन्य सौंपे गये विषयों के संबंध में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों एवं उत्तराखण्ड के प्रबुद्ध नागरिकों से सुझाव एवं विचार लिखित रूप में आमंत्रित करने हेतु आयोग द्वारा दिनांकः 05 फरवरी, 2025 को विभिन्न दैनिक हिन्दी/ अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गई है।

4– **आयोग को सन्दर्भित विषयों पर समस्त शासकीय विश्वविद्यालय/ अशासकीय/ निजी विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रबुद्धजनों/ शिक्षा विदों/ शोधकर्ताओं/ विषय विशेषज्ञों के सुझाव एवं विचार आयोग के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होंगे। उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति उपर्युक्त समस्त विश्वविधालयों को प्रेषित करते हुये विश्वविधालय के प्रबुद्धजनों/ शिक्षा विदों/ शोधकर्ता एवं विषय विशेषज्ञों के मध्य इसका व्यापक प्रचार–प्रचार किया जाय ताकि आयोग को उनके बहुमूल्य विचार एवं सुझाव प्राप्त हो सकें।**

5— आयोग को सन्दर्भित विषयों को वेबसाईट https://fcd.uk.gov.in पर भी देखा जा सकता है। सुझाव एवं विचार लिखित रूप में सीधे आयोग के कार्यालय को डाक अथवा ई–मेल sfcuttarakhand@mail.com पर दिनांकः 05 मार्च 2025 तक उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा दिनांकः 5 फरवरी, 2025 को प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति आपको इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया आप अपने स्तर से **समस्त शासकीय विश्वविद्यालय/ अशासकीय/ निजी विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्याल** को विज्ञप्ति की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 अहमद इकबाल)
सचिव।

संख्याः 14 / विविध–7(2)/छ.रा.वि.आ./ 2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– ✓रजिस्ट्रार, हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा विश्वविधालय, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल को विज्ञप्ति की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विश्वविधालय स्तर से बहुमूल्य विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

19.2.25

(डा0 अहमद इकबाल)
सचिव।

कार्यालय छठवॉ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड
चतुर्थ तल, वित्त विभाग भवन
37/ ए, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून– उत्तराखण्ड।
:: देहरादून :: दिनांकः 04 फरवरी, 2025

प्रेस विज्ञप्ति

भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 झ व 243 म सहपठित उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा–158 (क) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा पंचायतों तथा नगरीय स्थानीय निकायों के संबंध में सन्दर्भित विषयों पर संस्तुति करने हेतु **छठवॉ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड का गठन किया गया है, जिसमें श्री एन. रवि. शंकर (से.नि. मुख्य सचिव/आई.ए.एस.) अध्यक्ष तथा श्री पी.एस. जंगपांगी (से.नि. सचिव/आई.ए.एस.) एवं डॉ0 एम.सी. जोशी (से.नि. सचिव/ आई.ए.एस.) सदस्य नियुक्त हैं। डा0 अहमद इकबाल (आई.ए.एस.), अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।**

2– छठवॉ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों **(ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों)** एवं शहरी स्थानीय निकायों **(नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों व नगर निगमों)** के वित्तीय प्रबन्धन एवं आय के स्रोतों में सुधार, संगठनात्मक ढ़ांचें के सरलीकरण, पूंजीगत परिसम्पत्तियों का रख–रखाव तथा अनुरक्षण इत्यादि की स्थिति का आंकलन किया जाना है। साथ ही, राज्य सरकार के राजस्व स्रोतों व राज्य सरकार के दायित्वों एवं वचनबद्ध व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों और फीसों के शुद्ध आगम के आवंटन के सम्बन्ध में संस्तुति, स्थानीय निकायों के दिये जाने वाले सहायता अनुदान के रूप में संदेय राशियों को शासित करने वाले सिद्धान्त, इन निकायों/संस्थाओं की वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ीकरण हेतु उपाय और उन करों, शुल्कों, पथकरों एवं फीसों जिन्हें इन्हें समनुदेशन किया जाना है का अवधारण सम्बन्धी संस्तुति करनी है। साथ ही शहरीकरण की स्पष्ट प्रवृत्ति की रूप रेखा इंगित करते हुए इसे शहरी, शहरों से लगे अर्द्धशहरी क्षेत्रों एवं जनगणना कस्बों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्थिति का आंकलन और उसमें आवश्यकता के सापेक्ष कमी को चिन्हींकृत करने के साथ उनकी अभिवृद्धि/सुधार के लिए उपाय हेतु सुझाव देना है। आयोग को पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के क्रियान्वयन का आकलन और उनके शासन तथा क्रियान्वयन में सुधार के उपाय हेतु उपाय सम्बन्धी सुझाव भी देने हैं।

3– आयोग के सन्दर्भित विषयों को वेबसाइट https://fcd.uk.gov.in में देखा जा सकता है।

4– इस संबंध में **आयोग, जानकारी रखने वाले व्यक्तियों एवं उत्तराखण्ड के प्रबुद्ध नागरिकों के उपरोक्त विषय के बारे में सुझाव एवं विचार लिखित रूप में आमंत्रित करता है। सुझाव एवं विचार सीधे आयोग के कार्यालय को डाक अथवा ई–मेल sfcuttarakhand@gmail.com के माध्यम से दिनांकः 05 मार्च, 2025 तक उपलब्ध कराये जा सकते हैं।**

04/2/25

(डा0 अहमद इकबाल)
सचिव,
छठवॉ राज्य वित्त आयोग।

Office of the Sixth State Finance Commission, Uttarakhand
4th Floor, Finance Department Building
37/A, I.T.Park, Sahastradhara Road
Dehradun- Uttarakhand
:: Dehradun:: Date: 04 February, 2025

Press Release

Under the provisions mentioned in Article 243-I and 243-Y of the Constitution of India read with section 158 (a) of the Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016, the Governor has constituted the Sixth State Finance Commission, Uttarakhand, consisting of Shri N. Ravi Shanker (Retd. Chief Secretary/IAS) as Chairman and Shri P.S. Jangpangi (Retd. Secretary/IAS) and Dr. M.C. Joshi (Retd. Secretary/IAS) as Members, to make recommendations on subjects related to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies. Dr. Ahmed Iqbal (IAS), Additional Secretary, Finance, Uttarakhand Government has been appointed as the Secretary of the Commission.

2- The Sixth State Finance Commission, Uttarakhand has to assess the status of financial management and improvement in sources of income of three-tier Panchayats (Gram Panchayats, Kshetra Panchayats and District Panchayats) and Urban Local Bodies (Nagar Panchayats, Municipal Councils and Municipal Corporations), right-sizing of staff, maintenance and upkeep of capital assets etc. Also, keeping in view the revenue sources and the responsibilities and committed expenditures of the state government, it has to give recommendations regarding the allocation of the share of taxes, duties, tolls and fees leviable by the state government to the three-tier Panchayats and Urban Local Bodies ; the principles which should govern the grant-in-aid to the local bodies; the determination of taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to or appropriated by these bodies and the measures for strengthening the financial position of these bodies/ institutions. Also, indicating the outline of clear trend of urbanization, it has to assess the status of basic infrastructure facilities in urban, peri urban areas and census towns identifying the gaps therein and suggest measure for improvement /augmentation thereof. The Commission has also to assess the implementation of reforms in the Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies and suggest measures for improvement in governance and implementation.

3- The terms of reference of the Commission can be seen on the website https://fcd.uk.gov.in

4- In this regard, the Commission invites suggestions and ideas in writing from persons having knowledge about the above subjects and from enlightened citizens of Uttarakhand. Suggestions and ideas can be sent directly to the office of the Commission by post or e-mail sfcuttarakhand@gmail.com by 05 March 2025.

04/2/25

(Dr. Ahmed Iqbal)
Secretary 6th SFC.

Aff